



UPEW010026322026

न्यायालय Spl. Judge (E.C. Act), Etawah

पीठासीन अधिकारी- (Sri Ankur Sharma), (उच्चतर न्यायिक सेवा) - UP01632

Final Report/603/2026

VEERENDRA KUMAR VS SUBHASH KUMAR

मु०अ०सं०-1412/2023

धारा-135 विद्युत अधिनियम

थाना-एण्टी पावर थेफ्ट, जिला इटावा।

दिनांक: 09.05.2026

1. एफ०आर० पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुयी। विद्वान विशेष लोक अभियोजक, विद्युत निगम को एफ०आर० पत्रावली पर सुना एवं अवलोकन किया।
2. विशेष लोक अभियोजक (विद्युत) द्वारा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर एफ०आर० को स्वीकृत करने का निवेदन इस आधार पर किया गया है कि अभियुक्त ने राजस्व निर्धारण की धनराशि 12820/- रुपए एवं शमन शुल्क 5,000/-रुपया जमा कर दिया है।
3. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में स्पष्ट है कि विवेचक द्वारा इस आधार पर विवेचना जरिए अन्तिम आख्या समाप्त की गयी है कि अभियुक्त द्वारा धनराशि अदा कर दी गयी है। अतः एफ०आर० को स्वीकार किए जाने हेतु दर्शित आधार पर्याप्त एवं न्यायोचित प्रतीत होता है। तदनुसार एफ० आर० स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

एफ०आर० स्वीकार की जाती है। पत्रावली दाखिल अभिलेखागार हो।

(अंकुर शर्मा)

विशेष न्यायाधीश (आ 0 व 0 अधि0)/

अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-4, इटावा।

J.O. CODE : UP01632